जितेन्द्र श्रीवास्तव, भा0प्र0से0, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)–सह–जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा कार्यालय कक्ष में दिनांक–27.10..2014 को 06:00 बजे अपराह्न पैक्स निर्वाचन की तैयारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियाँ निर्वाचन, 2014 के अवसर पर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण [illegible] सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पकड़ीदयाल अनुमंडल के अनुमंडल दण्डाधिकारी एवं निर्वाचन पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की कार्यवाही निम्नवत है :–

1.0 उपस्थिति

पंजी अनुसार

2.0 विधि–व्यवस्था

2.1 संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी असमाजिक/गुण्डा तत्वों पर विशेष निगरानी रखने के साथ–साथ यह संतुष्ट हो लें कि भा.द.वि. की धारा–107 के अन्तर्गत शत प्रतिशत बॉण्ड भरा जा चुका है।

2.2 संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान के अवसर पर कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं घटे तथा मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो जाय।

2.3 संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को निद्रेशित किया गया कि निर्वाचन पूर्व अपने अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारियों/थानाध्यक्षों की बैठक कर Briefing कर लेंगे और शांतिपूर्ण मतदान के लिए आवश्यक निदेश देंगे।

2.4 अनुमंडल दण्डाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मतदान के लिए अपने अनुमंडल क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे एवं शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष मतदान के लिए वे पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे।

2.5 शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निदेश संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया।

2.6 बिहार पुलिस के साथ–साथ अंचलों में प्रतिनियुक्त अंचल गार्डो की भी सेवा निर्वाचन कार्य में ली जाय।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/
प्रभारी पदाधिकारी, विधि–व्यवस्था कोषांग)

3.0 रूट चार्ट

3.1 सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्व से हीं रूट चार्ट की छाया प्रति कराकर प्रखंड कार्यालय में उपलब्ध रखें, ताकि जिला स्तर से प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों, जोनल दण्डाधिकारियों एवं सेक्टर दण्डाधिकारियों को उनके स्तर से उपलब्ध कराया जा सके।

(अनुपालन– सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

4.0 Communication Plan

4.1 सेक्टर पदाधिकारियों एवं जोनल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदेश, जिसमें मोबाईल नम्बर भी अंकित है, [illegible] से सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा जा रहा है। वे इसकी छाया प्रति करा कर सभी मतदान दलों को ससमय उपलब्ध कराएँगें।

(अनुपालन– सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

5.0 मतदान कर्मियों के लिए वाहन की व्यवस्था।

5.1 सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर मतदान कर्मियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को एक हीं वाहन पर भेजने की व्यवस्था करेंगे। संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी इसे सुनिश्चित कराएँगें।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी/सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

6.0 मतदाताओं के लिए वैकल्पिक दस्तावेज

6.1 सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्व में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची की छाया प्रति करा लेंगे तथा प्रत्येक मतदान दलों को अपने स्तर से तीन–तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

7.0 मतदान कर्मियों के लिए भोजन की व्यवस्था

7.1 संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड अन्तर्गत मतदान केन्द्रों के नजदिकी मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत नियुक्त रसोईए की सेवा लेकर मतदान कर्मियों एवं सशस्त्र बलों के लिए अनुमोदित दर पर भुगतान के आधार पर भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

8.0 नियंत्रण कक्ष की स्थापना

8.1 जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित है, जिसका दूरभाष संख्या–06252–240121 है। अनुमंडल स्तर पर सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी एवं प्रखंड स्तर पर सभी निर्वाचन पदाधिकारी –सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष की स्थापना अविलम्ब करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– अनुमंडल दण्डाधिकारी/निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

9.0 मतगणना कार्यो की विडियोग्राफी

9.1 संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी निष्पक्ष मतगणना कार्य की सम्पूर्ण विडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी सुनिश्चित कराएँगे। इसके लिए सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी पर्याप्त संख्या में विडियोग्राफर की व्यवस्था रखेंगे।

9.2 अनुमंडल पदाधिकारी तथा सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि मतगणना का कार्य पूर्ण कर पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ की जाय। इसके लिए मतगणना का कार्य धीरे–धीरे करने का परामर्श दिया गया, ताकि कोई Confusion नही हो।

9.3 मतगणना के क्रम में Invalid Votes के बिन्दु पर अत्यधिक सतर्कता रखने का निर्देश दिया गया। सभी संबंधित को यह निर्देश दिया गया कि मतगणना के क्रम में प्राप्त Invalid Votes सभी उपस्थित उम्मीदवार/प्रतिनिधि को ठीक से दिखा दिया जाएँ, ताकि वे इस बारे में संतुष्ट हो सकें। मतगणना पूर्ण होने के उपरांत सभी उपस्थित उम्मीदवार/प्रतिनिधि से यह लिखित रूप से प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा कि वे सभी मतगणना से संतुष्ट हैं।

(अनुपालन– अनुमंडल दण्डाधिकारी/सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
प्रखंड विकास पदाधिकारी)

9.4 मतगणना के क्रम में यदि पुनर्गणना की मांग आती है तो उसे अवश्य किया जाए। पुनर्गणना सम्पन्न कर उपस्थित उम्मीदवार/प्रतिनिधि को यह संतुष्ट किया जाना है कि वे इससे पूर्णतः संतुष्ट हैं तथा यह उनसे लिखित रूप में भी प्राप्त की जाए। मतगणना समाप्ति के उपरांत इसकी विधिवत Proceeding भी तैयार की जाए एवं उस पर उपस्थित सभी उम्मीदवार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर अवश्यक प्राप्त की जाए।

(अनुपालन– सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी)

9.5 मतगणना प्रारंभ होने से एक दिन पूर्व हीं सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी एक रोस्टर अवश्य तैयार करेंगे, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि कौन सी पैक्स की मतगणना किस कमरे में की जाएगी। इसकी एक Alphabetical सूची भी तैयार की जाएगी,

जिसकी पर्याप्त प्रतियाँ मतगणना हॉल से बाहर चिपका दी जाएगी, जिससे \सभी उम्मीदवार/प्रतिनिधि को पूर्व से हीं यह स्पष्ट रहेगा कि उनके पैक्स की गणना किस कमरे में की जाएगी तथा कब की जाएगी, ताकि इस बिन्दु पर कोई Confusion नहीं हो।

9.6 सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मतगणना में संलग्न सभी कर्मियों की एक Duty Chart अवश्य तैयार कर लेंगे, ताकि सभी को अपने कार्यों के संबंध में पूर्व से ही पूर्ण स्पष्टता रहे।

9.7 सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी मतगणना की सभी तैयारियों के क्रम में अपने अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिले से प्रतिनियुक्त मतगणना प्रेक्षक से इस संबंध में समन्वय रखेंगे तथा किसी बिन्दु पर Confusion होने पर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा जिले से प्रतिनियुक्त मतगणना प्रेक्षक इस संबंध में अपने स्तर से लगातार पर्यवेक्षण बनाए रखेंगे।

(अनुपालन– अनुमंडल दण्डाधिकारी/सभी निर्वाचन पदाधिकारी–सह–
प्रखंड विकास पदाधिकारी)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–1965/गो0, मोतिहारी, दिनांक–28वीं अक्टूबर, 2014

प्रतिलिपि सभी अनुमंडल दण्डाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी(स0स0)–सह–जिला सहकारिता पदाधिकारी/निर्वाचन पदाधिकारी–सह–प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला प्रबंधक, आई0टी0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं *वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु* प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी कोषांग के वरीय पदाधिकारी(स0स0)/प्रभारी पदाधिकारी(स0स0)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/x

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।